उपखण्ड अधिकारी बालोतरा एवं
शिविर प्रभारी ग्रामीण सेवा शिविर–2025

ग्रामीण सेवा शिविर–2025
दिनांक 23.12.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 517/2025
कमला बनाम सरकार

आदेश

प्रार्थीनी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एव **हल्का पटवारी खटटू व भू.अ.नि. दूधवा** मय तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा की खाता संख्या 29 मे प्रार्थीनी का नाम नाबालिग अणची पुत्री गंगाराम सरंक्षक सरपरस्त किस्तुराराम वल्द गंगाराम सहखातेदारी में दर्ज है,जो कि रेकर्ड मे अशुद्व नाम दर्ज हो रखा है,जबकि प्रार्थीनी का वास्तविक नाम कमला पुत्री गंगाराम है,जो शुद्व करवाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीनी का आवेदन व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे पाया कि प्रार्थीनी का वर्तमान रेकर्ड मे नाबालिग अणची पुत्री गंगाराम सरंक्षक सरपरस्त किस्तुराराम वल्द गंगाराम सहखातेदारी मे दर्ज है,इसके स्थान पर प्रार्थीनी कमला पुत्री गंगाराम दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है,जो कि स्वीकार योग्य नही है,क्योकि प्रार्थीनी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया,जिससे साबित होता कि प्रार्थीनी नाम दुरूस्ती करवाने की हकदार हो। इसके अलावा पूर्व रेकर्ड मे प्रार्थीनी का नाम अशुद्व दर्ज होने का क्या आधार रहा,इसका भी कोई स्पष्टीकरण नही है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोषणीय नही होने के कारण प्रार्थीनी का आवेदन खारिज किया जाता है। प्रार्थीनी पृथक से वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

[Seal: ...सेवा शिविर–2025 ... उपखण्ड अधिकारी,बालोतरा]

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर बालोतरा